न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम :– सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)
मिसल न0– 01/2020

अनवान :–

1. हरजिन्द्र सिह पुत्र बलदेवसिह जाति जटसिख निवासी 7–9 आपीएम तहसील नोहर।
2. सरजीत कौर पत्नी बलदेव सिह जाति जटसिख निवासी 7–9 आरपीएम तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

–प्रार्थीगण/सायलान

बनाम्

1. मांगीलाल पुत्र निराणाराम जाति जाट निवासी पिचकराई तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
2. रणवीरसिह पुत्र मांगीलाल जाति जाट निवासी पिचकराई तहसील नोहर।
3. दलीप पुत्र मांगीलाल जाति जाट निवासी पिचकराई तहसील नोहर।
4. वेदप्रकाश पुत्र मांगीलाल जाति जाट निवासी पिचकराई तहसील नोहर।
5. राकेश पुत्र मांगीलाल जाति जाट निवासी पिचकराई तहसील नोहर।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251–(क) राज0
काश्तकारी अधिनियम सन् 1955

उपस्थित :– श्री रविन्द्र कुमार गोदारा, अभिभाषक, प्रार्थी

निर्णय दिनांक : 13/08/2020

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया की प्रार्थी की खातेदारी भूमि चक 9 आरपीएम के खाता संख्या 72/62 के पत्थर न0 297/389 (4) ,296/380(9) ,297/380(10) कुल 7.8600हैक भूमि सायल संख्या 1 का 306 हिस्सा सायल न0 2 का 300 हिस्सा के खातेदार काश्तकार दर्ज है।

चक 9 आरपीएम के खाता संख्या 55/42 प0न0 297/389(4) ,296/390(9) ,297/390(10) कुल 7.0480हैक भूमि गैरसायल न0 1 ता 5 बहिब के खातेदार काश्तकार वर्तमान राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है ।

सायलान अपने गांव से चल कर गैरसायलान की भूमि के प0न0 296/389(5) किला न0 24 में से उतरी तरफ चलकर अपने खेत में पहुचते है यही रास्ता सबसे नजदीकी एवं सुविधा जनक है किन्तु यह रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज नही है प्रार्थीगण /सायलान उक्त रास्ता स्वीकृत करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है

सायलान को अपनी खातेदारी भूमि में जाने के लिये उक्त रास्ता के अलावा अन्य कोई रास्ता नही है एवं प्रश्नगत रास्ता भी राजस्व रिकार्ड में स्वीकृत नही है जिससे गैरसायल कभी भी रास्ता को बन्द कर सकते है जिससे सायल के खातेदारी अधिकारों का हनन होगा।

सायल उक्त रास्ता स्वीकृत करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहता है एवं रास्ते के बदले में भूमि या डीएलसी दर से राशि देने के लिये भी तैयार है प्रार्थी का अपनी खातेदारी भूमि में जाने के लिये रास्ता स्वीकार करवाने का अधिकारी है

सायल ने गैरसायल को कई मर्तबा कहा की उक्त रास्ता राजस्व रिकार्ड में स्वीकार करवा ले तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करता रहा अन्त में इन्कार हो गया इसलिये यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है।

अत सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मोजा चक 9 आरपीएम के प0न0 296/389(5) के किला न0 24 मिन पश्चिम की 1 बिश्वा यानी 0.0130हैक रास्ता स्वीकृत करने के आदेश फरमावे।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

सायल का प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायल को जरिये नोटिस तलब किया गया गैरसायल जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर सायलान के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की सायलान को उसकी खातेदारी भूमि में जाने के लिये रास्ता स्वीकार किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाल जबाब भी पेश किया जो शामिल मिसल किया गया ।

गैरसायल न0 6 की और पेरोकार राज उपस्थित आकर निवेदन किया की सायल एवं गैरसायल की आपसी सहमति के आधार पर राजय हकों को सुरक्षित रखा जाकर रास्ताा स्वीकार किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील सायल के अधिवक्ता ने निवेदन किया की सायल अपनी खातेदारी भूमि में जाने के लिये रास्ता स्वीकृत करवाना चाहता है सायल के कथनों को गैरसायल न0 1 ता 5 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया जा चुका है कि सायलान की भूमि में जाने के लिये रास्ता स्वीकार किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही हे पेरोकार राज ने भी रास्ता स्वीकृत करने में किसी प्रकार का ऐतराज नही किया गया है इसप्रकार पक्षकारो की सहमति के आधार पर रास्ता स्वीकार फरमावे सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमावे।

गैरसायल के अधिवक्ता ने भी निवेदन किया की सायल की भूमि में जाने के लिये रास्ता स्वीकार किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की पक्षकारों की आपसी सहमति से रास्ता स्वीकार किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया सायल एवं गैरसायल दोनो एक दुसरे के चिपते हुए खातेदार काश्तकार है एवं एक ही परिवार के सदस्य है सायल अपनी खाातेदारी भूमि में जाने के लिये रास्ता स्वीकृत करवाना चाहता है सायल के कथनों गैरसायलान से स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की सायल की भूमि में जाने के लिये रास्ता स्वीकृत किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है अर्थात सायल एवं गैरसायल की रास्ता स्वीकृत करने में सहमति हो चुकी है।

किसी भी खातेदार काश्तकार को उसकी खातेदारी भूमि में जाने के लिये रास्ता दिया जाना भी न्यायोचित है एवं सायल एवं गैरसायल की आपसी सहमति के आधार पर सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

अतः साायल एवं गैरसायल की आपसी सहमति के आधार पर सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर गैरसायल न0 1 ता 6 की रोही मोजा चक 9 आरपीएम के प0न0 296/389(5) के किला न0 24 मिन पश्चिम की 1 बिश्वा यानी 0.0130हैक रास्ता स्वीकृत रास्ता स्वीकृत किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु तहसीलदार राजस्व नोहर को आदेश जारी किया जाकर शामिल मिसल किया गया व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 13/07/20 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

क्रमांक : राजस्व / 2020 / 681 दिनांक 13-8-20

तहसीलदार,
नोहर

विषय :– स्वीकृत रास्ता का राजस्व रिकार्ड में अंकन करने के सम्बध में प्रार्थना–पत्र सं0 01 सन 2020 निर्णय दिनांक

अनवान :– अनवान :–

1. हरजिन्द्र सिह पुत्र बलदेवसिह जाति जटसिख निवासी 7–9 आपीएम तहसील नोहर।
2. सरजीत कौर पत्नी बलदेव सिह जाति जटसिख निवासी 7–9 आरपीएम तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

–प्रार्थीगण / सायलान

बनाम्

1 मांगीलाल पुत्र निराणाराम जाति जाट निवासी पिचकराई तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
2 रणवीरसिह पुत्र मांगीलाल जाति जाट निवासी पिचकराई तहसील नोहर।
3 दलीप पुत्र मांगीलाल जाति जाट निवासी पिचकराई तहसील नोहर।
4 वेदप्रकाश पुत्र मांगीलाल जाति जाट निवासी पिचकराई तहसील नोहर।
5 राकेश पुत्र मांगीलाल जाति जाट निवासी पिचकराई तहसील नोहर।
6 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

–अप्रार्थीगण

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर आदेश दिया गया है कि रोही मोजा चक 9 आरपीएम के प0न0 296 / 389(5) के किला न0 24 मिन पश्चिम की 1 बिश्वा यानी 0.0130हैक रास्ता स्वीकृत रास्ता स्वीकृत किया गया है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाकर पालना रिपोर्ट तुरन्त प्रस्तुत करे।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
नोहर